अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : एफ.7(459)सीएसएस/प्लान/2017–18/38719-38963 दिनांक : 21/03/2018

समस्त कार्यालयाध्यक्ष/
आहरण एवं वितरण अधिकारी,
कृषि विभाग, राजस्थान।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में आयोजना के समस्त बजट मदों में मांग एवं समर्पण तथा अन्तिम व्यय में अन्तर की सूचना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आपके कार्यालयों को आयोजना मद की विभिन्न बजट मदों में राशि का आवंटन किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति में कुछ दिन ही शेष हैं। आयोजना मद में उपलब्ध राशि का 100 प्रतिशत व्यय हो, इसलिए आपके कार्यालय को दिनांक 31.03.2018 तक आवंटित राशि में से तक यदि बचत/मांग संभावित हो तो समुचित गणना कर बजट मदवार समर्पण/मांग की सूचना दिनांक 21 मार्च 2018 तक आयुक्तालय के सम्बन्धित योजना/कार्यक्रम प्रभारी को ई–मेल द्वारा भेजा जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित दिनांक तक बजट समर्पण/मांग की सूचना प्राप्त नहीं होने पर यह मान लिया जायेगा कि आपके आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा तथा आपके कार्यालय में चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति पर कोई बचत एवं देयक दायित्व नहीं रहेंगे। समर्पित राशि पर तभी विचार किया जायेगा जब अन्य किसी कार्यालय द्वारा उसी बजट मद में राशि की मांग की जावेगी। समर्पण/मांग की सूचना प्राप्त नहीं होने अथवा उक्त सूचना के विपरीत आपके कार्यालय में बचत एवं देयक दायित्व रहते हैं तो आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रस्तावित की जा सकती है।

विभाग की अन्तिम व्यय की सूचना वित्त विभाग को दिनांक 1.4.2018 को भिजवायी जानी है, इसके लिए आई0एफ0एम0एस0 पर उपलब्ध व्यय की सूचना का उपयोग किया जाना है, लेकिन कोषालय से पारित, बैंक से आहरण न होना, 2401/4401 बजट मद में माइनस (–) में राशि जमा करवाने, राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता राशि के विभागीय मैंचिग शेयर अनुसार व्यय नहीं होने, गलग बजट मद में बिल पास होने(टी0ई) आदि के कारण आई0एफ0एम0एस0 में दर्शित व्यय एवं वास्तविक व्यय में अन्तर होता है। इस प्रकार की स्थिति में आयोजना के सम्बन्धित बजट मदों के आई0एफ0एम0एस0 में दर्शित व्यय, वास्तविक व्यय, अन्तर राशि एवं अन्तर के कारणों मय वाउचर की प्रति सहित दिनांक 02.04.2018 को पूर्वान्ह तक आपके कार्यालय के लेखाकर्मी के साथ आयुक्तालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। दिनांक 02.04.2018 के दोपहर 1.00 बजे तक आपके कार्यालय से कोई अन्तर की सूचना प्राप्त नहीं होने की दशा में आई0एफ0एम0एस0 में दर्शित व्यय को ही वास्तविक व्यय मानकर राज्य सरकार को समेकित व्यय की सूचना प्रस्तुत कर दी जावेगी। बाद में उक्त व्यय में अन्तर की दशा में यह आपकी व्यक्तिगत जवाबदेही मानी जावेगी।

राज्य योजना के जिन बजट मदों में एक से अधिक कार्यक्रमों का व्यय होता है, उन मदों का कार्यक्रमवार अन्तिम व्यय भी पृथक से भिजवाना सुनिशित करावें। (जैसे जैविक एवं फसल प्रदर्शन)

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो तो योजना शाखा, आयुक्तालय के टेलीफोन पर सम्पर्क किया सकता है।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांक : एफ.7(459)सीएसएस/प्लान/2017–18/38719-38963 दिनांक : 21/03/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:–

1. वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग।
2. समस्त कार्यक्रम/योजना प्रभारीयों को भेजकर निवेदन है कि 22 मार्च 2018 तक प्राप्त सूचना के अनुसार बजट आवंटन/समर्पण के प्रस्ताव इस शाखा को भिजवायें।
3. ए0सी0पी0,कृषि विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र कृषि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(एल0एन0कुमावत)
अतिरक्त निदेशक कृषि (विस्तार)